दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की मे जारी
23.5.18	पत्रावली ~~[illegible]~~ राजस्व लोक अदालत कैम्प बावड़ी मे पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 RTA के तहत प्रस्तुत कर ग्राम बावड़ी पटवार हल्का बावड़ी तहसील मांडल के खाता सं० 410 एवं 55 मे प्रार्थी के नाम की जगह शोभा लाल दर्ज हो गया, जिसे लेहरु लाल करने बाबत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र मे तहसीलदार मांडल की रिपोर्ट ली गई। जिसके अनुसार लेहरु लाल के अन्य सभी प्रमाण पत्रो मे तो लेहरु लाल का नाम सही दर्ज है परन्तु राजस्व रेकार्ड मे सही अंकन नही हुआ। लेहरु लाल व शोभा लाल एक ही व्यक्ति है। राजस्व रेकार्ड मे भी शोभा लाल पिता नन्दा के बजाय लेहरु लाल पिता नन्दा का नाम दर्ज किये जाने की अनुशंषा तहसीलदार मांडल द्वारा की गयी। तहसीलदार मांडल को आदेश दिया जाता है कि ग्राम बावड़ी तहसील मांडल के खाता संख्या 410, 55 मे अंकित नाम शोभा लाल पिता नन्दा के बजाय लेहरु लाल पिता नन्दा दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तहसीलदार मांडल राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	